बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक–13/अ0प्र0–08–15/17 3021 पटना, दिनांक– 26/6/2020

प्रेषक,

संजय दूबे भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार।

विषयः– **Deposit Account की सत्यापित जमा राशि के मदवार** (Part-I से Part-V) **विभाजन के संबंध में।**

प्रसंगः– वित्त विभागीय पत्रांक–3200 दिनांक–15.06.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कार्य प्रमण्डलों से संबद्ध Deposit Account को महालेखाकार से सत्यापित राशि के अनुरूप वित्त विभाग द्वारा समेकित राशि का CFMS में अंतरित किया गया है। CFMS में प्रविष्ट समेकित राशि को सम्पूर्ण रूप से शीर्षवार विभाजित करने की जिम्मेवारी पूर्णतया संबंधित कार्य प्रमण्डल की है। उक्त विभाजन की शुद्धता के लिए कार्यपालक अभियंता एवं प्रमण्डलीय लेखाकार जिम्मेवार होंगे।

अतएव सभी कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया जाता है कि उक्त Deposit Account की राशि (Part-I से Part-V) का मदवार विभाजन पर्याप्त सावधानी से कराना सुनिश्चित करते हुए प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन
26/6/2020
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–13/अ0प्र0–08–15/17 3021 पटना, दिनांक– 26/6/2020

प्रतिलिपिः– सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3200 दिनांक–15.06.2020 के आलोक में को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/6/2020
सरकार के अपर सचिव

पत्र सं०-e.-gov./CFMS-07/2019...3200..../

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

राहुल सिंह,
सचिव(व्यय) ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/योजना एवं विकास विभाग/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक- 15/06/2020

Deposit Account की सत्यापित जमा राशि के मदवार (Part I to V) विभाजन के संबंध में ।

आप अवगत है कि राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण वित्तीय संव्यवहार को ऑनलाईन करने हेतु दिनांक-01.04.2019 से CTMIS के स्थान पर CFMS को लागू किया गया है ।

CTMIS अवधि में सभी कार्य प्रमंडलों द्वारा LOC आधारित निकासी की जाती थी जिसका अंतिम लेखा कार्य प्रमंडलों द्वारा सीधे महालेखाकार को भेजा जाता था । सभी कार्यप्रमंडलों से एक Deposit Account भी संबद्ध रहता है ।

2. कार्य प्रमंडलो से संबद्ध Deposit Account की जमा राशि का सत्यापन कर महालेखाकार एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से वित्त विभाग को उपलब्ध कराया गया है । उक्त समेकित राशि को CFMS में संबंधित कार्य प्रमंडल में इस अपेक्षा के साथ अंतरित किया गया था कि कार्य प्रमंडल उक्त समेकित राशि (Part I to V) को शीर्षवार विभाजित करेंगे । ऐसा संज्ञान में आया है कि समेकित राशि को संपूर्ण रूप से शीर्षवार विभाजित नहीं किया गया है अथवा विभाजित राशि महालेखाकार एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा सत्यापित राशि के अनुरूप नहीं है । वित्तीय अनियमितता अथवा अधिक भुगतान से बचने हेतु ऐसे सभी मामलें की समीक्षा एवं त्रुटि परिमार्जन अत्यावश्यक है ।

Part I से IV की राशि में अपेक्षित सुधार सत्यापित राशि के आधार पर TCS द्वारा कर दिया जा रहा है । **Part V** की राशि का मदवार विभाजन संबंधित कार्य प्रमंडल द्वारा किया जाना है । संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं प्रमंडलीय लेखाकार पर इस क्रिया को सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी होगी कि Part V का मदवार विभाजन उनके द्वारा दिनांक- 31.03.2019 को महालेखाकार को उपलब्ध कराये गये लेखा के अनुरूप है ।

अतः अनुरोध है कि सभी कार्य प्रमंडलों को निदेशित किया जाय कि उक्त मदवार विभाजन पर्याप्त सावधानी के साथ किया जाय एवं कार्यपालक अभियंता एवं प्रमंडलीय लेखाकार इस क्रिया की शुद्धता के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेवार होंगे ।

विश्वासभाजन,

(राहुल सिंह)
सचिव(व्यय) ।